सामान्य निर्देश

म.प्र. मदरसा बोर्ड द्वारा जारी सत्र 2016–19 में मदरसों का निम्नलिखित निर्देशानुसार संचालन करना सुनिश्चित करें।

1- सर्वप्रथम मदरसा भवन पर 5X3 फिट के साईन बोर्ड लगवायें। इसमें अनुदानित मदरसे स्पष्ट रूप से **'' स्कूल शिक्षा विभाग से अनुदान प्राप्त मदरसा ''** अंकित करायें यदि अनुदानित मदरसा नही है तो केवल **'' म.प्र. मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त''** अंकित कराये। साईन बोर्ड का प्रारूप इस प्रकार रहेगा-

म.प्र. मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त एवं स्कूल शिक्षा विभाग से अनुदान प्राप्त मदरसा
नाम मदरसा..... पंजीयन क्रमांक.....
डाईस कोड.....कक्षा ..... से .....तक संचालित
मदरसा संचालक का नाम एवं मोबाईल नंबर.....
पता.....

2- वार्षिक परीक्षा आयोजित करें। परीक्षा उपरांत परीक्षाफल-पत्रक, सांख्यिकी-पत्रक (गोसवारा) तैयार कर क्षेत्र के संकुल केन्द्र प्राचार्य से अनुमोदित (सील एवं हस्ताक्षर सहित) कराकर प्रतिवर्ष मदरसा बोर्ड को भेजें।

3- सत्र 2016-19 की मान्यता प्राप्त करने के बाद प्रतिवर्ष मदरसे की निम्नलिखित जानकारी की फाईल बनाकर म.प्र. मदरसा बोर्ड में जमा करायें-1. मूल अनुमोदित परीक्षाफल-पत्रक एवं गौसवारा,2. मदरसे का बोर्ड सहित फोटो, 3. समिति की अद्यतन जानकारी जिसमें उस वर्ष समिति वैद्य हो। यदि समिति का कार्यकाल समाप्त हो गया हो तो उसके नवीनीकरण की कार्यवाही की प्रति।

4- प्रवेशित सभी छात्रों की प्रतिदिन पूरे समय उपस्थिति मदरसे में सुनिश्चित करें। प्रथम कार्य दिवस से कक्षाऐं नियमित टाईम-टेबिल अनुसार लगवाएं तथा प्रत्येक पीरियड में प्रत्येक छात्र को निर्धारित पाठ्य वस्तु सिखाना सुनिश्चित कराएं व इसका अभ्यास भी कराएं तथा सीखने का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन इकाई टेस्ट, तिमाही, छैःमाही परीक्षा से कर लगातार वार्षिक परीक्षा के पूर्व तक निदानात्मक शिक्षण कराएं।

5- कक्षा स्तर वृद्धि हेतु पूर्व कक्षा का अनुमोदित परीक्षाफल पत्रक अवश्य भेजें। यदि आपके द्वारा कक्षा 5 वीं से सीधे कक्षा 8 वीं स्तर की वृद्धि ली गई है तो ऐसे में प्रति वर्ष एक कक्षा की स्तर वृद्धि करने की मदरसे को पात्रता होगी।

6- मदरसे में एक मौलवी/आलिम जो मौलवी, आलिम, फाजिल डिग्री धारी हो का उर्दू एवं अरबी दीनियात पढ़ाने के लिए होना अनिवार्य है। मदरसे में दर्जा नाद़रा के बाद हिफ्ज़ व किरअत का कोर्स भी संचालित कराएं। सभी टीचर/उस्ताद की तालीमी काब्लियत कम से कम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट एवं प्रशिक्षित होना सुनिश्चित करें।

7- मदरसा संचालन समिति को अपडेट रखें। इसका कार्यकाल समाप्त होते ही नवीनीकरण की कार्यवाही करें। इसके अभाव में मदरसे की मान्यता स्वतः प्रभावित होगी। साथ ही समिति एवं वर्तमान सत्र के इस मदरसा मान्यता प्रमाण-पत्र को मदरसा कार्यालय में चस्पा करें।

8- मदरसे की असेम्बली में प्रतिदिन छात्र छात्राओं को सुबह कौमी तराना व उनकी मातृ भाषा में कुरान शरीफ की एक आयत का तर्जुमा सहित पाठ पढ़ाया व सिखाया जाए व छुट्टी के समय राष्ट्रगान एवं अरबी दीनियात का पाठ पढ़ाया व सिखाया जाए तथा उस पर रोज अमल किया जाये।

9- म.प्र. मदरसा बोर्ड से प्रत्येक पत्र व्यवहार के समय अपना फोन / मोबाइल नम्बर, मदरसा पंजीयन नम्बर, समिति पंजीयन नम्बर अवश्य लिखें। मदरसा संबंधी किसी भी कार्य हेतु मदरसा बोर्ड आने की आवश्यकता नहीं है। कागजात डाक से भेजकर फोन पर मदरसे का पंजीयन क्रमांक बताकर कार्यवाही पता की जा सकती है।

10- म.प्र.शासन द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में मदरसा प्रभारी नियुक्त किया गया है। इनके लगातार संपर्क में रहकर म.प्र. मदरसा बोर्ड, भोपाल के नवीन जानकारी/अपडेट्स प्राप्त रें। इसके अतिरिक्त मदरसे अपने जनशिक्षक व संकुल केन्द्र से सम्पर्क में रहकर स्कूल शिक्षा विभाग के कलेण्डर अनुसार सभी मदरसा छात्रों की प्रति शनिवार बाल सभा में तैयारी कराके प्रत्येक स्तर पर सहभागिता शैक्षणिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक (बाल रंग), खेलकूद एवं अन्य सभी गतिविधियों में सुनिश्चित कराएं।

11- मदरसे संबंधी किसी कठिनाई एवं मार्गदर्शन हेतु म.प्र. मदरसा बोर्ड का फोन न. **0755-2735931** तथा वेबसाइट **www.mpmb.org.in** एवं ई-मेल **mpmbmanyata@gmail.com** पर सम्पर्क करें।

उक्त निर्देशों का मदरसे में पालन सुनिश्चित कराऐं। निरीक्षण में विपरीत स्थिति पाए जाने पर मदरसे की मान्यता समाप्त की जा सकती है। उम्मीद है आप स्वैच्छा से अपने संस्थान को उत्कृष्ट बनाकर मदरसे एवं मदरसा छात्र-छात्राओं का सर्वांगीण विकास सुनिश्चत कर सकेंगे।

————